रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1251] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2016/वैशाख 30, 1938
No. 1251] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30, 1938

मंत्रिमंडल सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई , 2016

का.आ. 1832(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ पच्चीसवां संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,-

"1. पृथ्वी आयोग और उससे संबंधित सभी विषय।

2. (क) (i) महासागर, वातावरण और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और ठोस पृथ्वी, ध्रुवीय विज्ञान और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित नीति, समन्वय और स्कीमों से संबंधित ऐसे विषय जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए हैं;

(ii) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित अनुसंधान (मूल अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित उपयोगों का विकास;

(iii) प्रौद्योगिकी विकास;

(iv) सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों का मानचित्रांकन करने, उनकी उपलभ्यता का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण;

(v) समुद्री और ध्रुवीय संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षा और संरक्षण;

(vi) समुचित कौशल और जनशक्ति का विकास;

(vii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता।

(ख) उपर्युक्त से संबंधित विधियां और विनियामक उपाय।

3. खुले समुद्र में समुद्री पर्यावरण।

4. पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)।

5. पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिकरण या बोर्ड।"

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/**43**/201**4**-मंत्रि.]
दीप्ति उमाशंकर**,** संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016

S.O. 1832(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Fifth Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading "MINISTRY OF EARTH SCIENCES (PRITHVI VIGYAN MANTRALAYA)", for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

"1. Earth Commission and all matters relating thereto.

2. (a) (i) Matters of policy, coordination and schemes relating to the Ocean, Atmospheric and Meteorological Sciences, Seismology and Solid Earth, Polar Science and Earth System Sciences, not specifically allocated to any other Department or Ministry;

(ii) research (including fundamental research) related to Earth System Sciences and the development of uses relatable thereto;

(iii) technology development;

(iv) surveys to map, locate and assess living and non-living marine resources;

(v) preservation, conservation and protection of marine and polar resources;

(vi) development of appropriate skills and manpower;

(vii) international collaboration and cooperation;

(b) laws and regulatory measures relating to the above.

3. Marine Environment on the high seas.

4. Earth System Science Oganisation (ESSO).

5. Earth System Science and Technology Agency or Board.".

PRANAB MUKHERJEE
PRESIDENT

[F. No. 1/21/43/2014-Cab.]
DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.